पत्रांक–10 / स्था0 व्यय आ0–36 / 2024–25 148/ रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
रामगढ़ एवं धनबाद।

राँची, दिनांक–25-02-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष–01–राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यय हेतु इकाईवार कुल ₹55,00,000/–(रूपये पचपन लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक–158/नजा0, दिनांक–31.01.2025 तथा उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–62/नजा0, दिनांक–18.02.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में इकाईवार कुल ₹55,00,000/–(रूपये पचपन लाख) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती हैः–

क्र.	जिला	DDO Code	कार्यालय व्यय	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति	योग
1	रामगढ़	RGHDAD 059	3000000	500000	3500000
2	धनबाद	DHNDAD 015	0	2000000	2000000
		कुल	3000000	2500000	5500000

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)

कृ0पृ0उ0

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

10. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

25/2

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/स्था0 व्यय आ0–36/2024–25 148/ राँची, दिनांक– 25-02-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं धनबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ एवं धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/XXV

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)